



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274502
CG-DL-E-14072026-274502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3693]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3693]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3855(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH63 उदगीर से देगलूर के कि.मी. 193.881 से कि.मी.233.238 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी, देगलूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH63 उदगीर से देगलूर के कि.मी. 193.881 से कि.मी.233.238 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नांदेड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुखेड					
गांव का नाम: रावनकोला					
1	86	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
2	88	निजी	एग्रीकल्चर	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
3	92	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
4	93	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
5	94	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
6	95	निजी	एग्रीकल्चर	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
7	97	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: चिंचगांव					
8	48	निजी	एग्रीकल्चर	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
9	49	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
10	50	निजी	एग्रीकल्चर	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
11	51	निजी	एग्रीकल्चर	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
12	55	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
13	56	निजी	एग्रीकल्चर	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
14	60	निजी	एग्रीकल्चर	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
15	61	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
16	74	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
17	76	निजी	एग्रीकल्चर	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
18	77	निजी	एग्रीकल्चर	0.09 (हेक्टेयर)	0.09

19	78	निजी	एग्रीकल्चर	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
20	79	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
21	86	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
22	88	निजी	एग्रीकल्चर	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
23	River	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
गांव का नाम: रावी					
24	142	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
25	272	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
26	273	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
27	274	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
28	275	निजी	एग्रीकल्चर	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
29	276	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
30	River	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: मुक्रमाबाद					
31	128	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
32	129	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
33	130	सामान्य	एग्रीकल्चर	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
34	Road	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
तालुक का नाम: देगलूर					
गांव का नाम: अमदापुर					
35	70	निजी	एग्रीकल्चर	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
36	78	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: करडखेड					
37	116	निजी	एग्रीकल्चर	0.64 (हेक्टेयर)	0.64
38	117	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
39	156	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
40	375	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
41	379	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
42	6	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
43	7	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
44	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
45	9	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02

गांव का नाम: बोरगाव					
46	1	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
47	2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
48	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
49	3	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
50	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
Total					4.09

[फा. सं. RW/NH-12014/90/2024-MAH/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3855(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH63 Udgir to Degloor in the stretch of land from Km. 193.881 to Km. 233.238 in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO & LA Officer, Degloor in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH63 Udgir to Degloor in the stretch of land from Km. 193.881 to Km. 233.238 in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mukhed					
Village: Ravankola					
1	86	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
2	88	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
3	92	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02

4	93	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
5	94	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
6	95	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
7	97	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Chinchgaon					
8	48	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
9	49	Government	Non Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
10	50	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
11	51	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
12	55	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
13	56	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
14	60	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
15	61	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
16	74	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
17	76	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
18	77	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
19	78	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
20	79	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
21	86	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
22	88	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
23	River	Government	Non Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
Village: Raavi					
24	142	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
25	272	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
26	273	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
27	274	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
28	275	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
29	276	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
30	River	Government	Non Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Mukramabad					
31	128	Common	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
32	129	Government	Non Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
33	130	Common	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
34	Road	Government	Non Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Taluk: Degloor					
Village: Amdapur					
35	70	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
36	78	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Karadkhed					
37	116	Private	Agriculture	0.64 (Hectare)	0.64
38	117	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01

39	156	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
40	375	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
41	379	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
42	6	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
43	7	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
44	8	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
45	9	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Borgaon					
46	1	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
47	2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
48	239	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
49	3	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
50	8	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
Total					4.09

[F. No. RW/NH-12014/90/2024-MAH/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director